



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 ज्येष्ठ, 1945 (श०)

संख्या - 301 राँची, बुधवार,

24 मई, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

4 मई, 2023

संख्या-03/नि०सं०-09-21/2017 का. 2581--श्री राधेश्याम प्रसाद, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-835बी/03), सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची के विरुद्ध अपर समाहर्ता, गढ़वा के पदावधि से संबंधित आरोपों के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या 1484(HRMS) दिनांक 09.02.2022 के द्वारा श्री प्रसाद के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित रहने के फलस्वरूप दिनांक 28.11.2022 को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि से संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति के द्वारा अनुशंसा मुहरबंद लिफाफे में रखने की प्रक्रिया अपनायी गई।

2. विभागीय संकल्प संख्या 19239(HRMS) दिनांक 24.02.2023 के द्वारा श्री प्रसाद को उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में आरोप मुक्त किया गया है।

3. विभागीय संकल्प सं० 6227 दिनांक 20.11.2008 की कण्डिका 2(vi) के अनुसार किसी अनुशासनिक मामले/आपराधिक कार्यवाही, जिसमें सरकारी सेवक के विरुद्ध आरोपों को समाप्त कर दिया जाता है अथवा वापस ले लिया जाता तो पूर्णतः दोषमुक्त होने की स्थिति में उसकी प्रोन्नति की तारीख मुहरबंद लिफाफों में रखे गए निष्कर्षों के अनुसार उसके लिए निर्धारित क्रमानुसार तथा

उस क्रम में उससे ठीक नीचे के कनीय अधिकारी की प्रोन्नति की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी।

4. उक्त के क्रम में दिनांक 28.11.2022 को झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि से संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु श्री प्रसाद के संबंध में रक्षित मुहरबंद लिफाफा को सचिव महोदय के समक्ष खोला गया।

- विभागीय प्रोन्नति समिति के द्वारा श्री प्रसाद के संबंध में "प्रोन्नति के योग्य" की अनुशंसा की गई है।

5. श्री प्रसाद से कनीय श्री रविशंकर विद्यार्थी, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 836/03) को दिनांक 28.11.2022 की प्रोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 7534 दिनांक 30.11.2022 के द्वारा संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान करते हुए संयुक्त सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर पदस्थापित किया गया है।

6. अतः उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में दिनांक 28.11.2022 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में श्री राधेश्याम प्रसाद, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 835बी/03), सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची को उनसे कनीय श्री रविशंकर विद्यार्थी, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 836/03) को दी गई प्रोन्नति के आलोक में श्री प्रसाद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि से संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान 37400.67000/- ग्रेड पे 8700/- पे मैट्रिक्स लेवल 13) में दिनांक 30.11.2022 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान करते हुए तथा धारित पद को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए पदस्थापित किया जाता है।

7. झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 58 तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 74 के आलोक में श्री प्रसाद को प्रदत्त प्रोन्नति का वास्तविक वित्तीय लाभ एवं अन्य सुविधाएँ प्रोन्नत पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से देय होगा।

8. यह प्रोन्नति WP(S)No. 3792/2016 अमरेन्द्र सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रभावित होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राकेश रंजन,
सरकार के अवर सचिव ।
